

प्रेषक,

रामकुमार,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट सं०-6,
हरदोई ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।

महोदय,

श्रीमान जी के प्रकीर्ण आदेश सं० 164 दिनांक 24.6.15 के अनुपालन में निवेदन है कि इस न्यायालय में सत्र परीक्षण सं० 803/14 मु०अ०सं० 296/99 अंतर्गत धारा 302, 307, 303, 504, 506, 147, 148 भा०दं०सं० थाना शाहाबाद जिला हरदोई उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेम कुमार त्रिपाठी आदि बहस के स्तर पर विचाराधीन है। इस मुकदमे में अभियुक्त श्री प्रेम कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता हैं, जो हरदोई के विभिन्न न्यायालयों में विधि व्यवसाय करते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ लखनऊ द्वारा याचिका सं० 1312 (US482)/2014 दिनांक 19.5.14 में पारित आदेशानुसार इस मुकदमे में निर्णय पारित करने में रोक लगाई गयी है।

रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

दिनांक: 29.06.2015

(रामकुमार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट सं०-6,
हरदोई।